संख्या-07/2017/1789/38-3-17-1117/2013

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2017

विषयः- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय स्तर पर पदाभिहित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-07/ज0गा0यो0(ज0सू0प्र0)/2017 दिनांक 14.09.2017 के संदर्भ में उ0प्र0 जन हित गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत अधिसूचित अधिसूचना संख्या-1884/एक-14-2011-33(100)-2010-टी0सी01 दिनांक 19.09.2011 यथा संशोधित 15.01.2011 व 27.11.2013 के अंतर्गत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम/अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय स्तर पर/जनपद स्तर पर पदाभिहित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी निम्नवत नामित किया जाता हैः-

<u>आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय तथा अपर आयुक्त(मनरेगा) कार्यालय स्तर</u>

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
01	ग्राम्य विकास	पेंशन की स्वीकृति का निर्णय	उपायुक्त	60 दिन	अपर आयुक्त/अपर आयुक्त (प्रशा0)	30 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
02	ग्राम्य विकास	जी0पी0एफ0 की स्वीकृति	उपायुक्त	30 दिन	अपर आयुक्त/अपर	15 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास

		का निर्णय			आयुक्त (प्रशा0)		
03	ग्राम्य विकास	चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का निर्णय	उपायुक्त	15 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	15 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
04	ग्राम्य विकास	चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निर्णय	उपायुक्त	60 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	30 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
05	ग्राम्य विकास	प्रोविजन पेंशन की स्वीकृति का निर्णय	उपायुक्त	30 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	30 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
06	ग्राम्य विकास	अर्जित अवकाश की स्वीकृति का निर्णय	उपायुक्त	15 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	07 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
07	ग्राम्य विकास	वेतन भुगतान का निर्णय	उपायुक्त	15 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	07 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
08	ग्राम्य विकास	कान्फीडेन्शियल एन्ट्री का निर्णय	उपायुक्त	30 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	30 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
09	ग्राम्य विकास	ए0सी0पी0 का निर्णय	उपायुक्त	90 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	30 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
10	ग्राम्य विकास	मृतक आश्रित की नियुक्ति का निर्णय	उपायुक्त	90 दिन	अपर आयुक्त / अपर आयुक्त (प्रशा0)	30 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास
11	ग्राम्य विकास	अनस्किल्ड लेबर को मनरेगा के तहत रोजगार	उपायुक्त, मनरेगा	15 दिन	अपर आयुक्त (मनरेगा)	07 दिन	आयुक्त, ग्राम्य विकास

		उपलब्ध कराने का निर्णय					

जनपद कार्यालय स्तर के अधिकारियों का नामांकन

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
01	ग्राम्य विकास	पेंशन की स्वीकृति का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	60 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी
02	ग्राम्य विकास	जी0पी0एफ0 की स्वीकृति का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	15 दिन	जिलाधिकारी
03	ग्राम्य विकास	चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	15 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	15 दिन	जिलाधिकारी
04	ग्राम्य विकास	चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	60 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी
05	ग्राम्य विकास	प्रोविजन पेंशन की स्वीकृति का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी
06	ग्राम्य विकास	अर्जित अवकाश की स्वीकृति का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	15 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	07 दिन	जिलाधिकारी
07	ग्राम्य विकास	वेतन भुगतान का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	15 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	07 दिन	जिलाधिकारी
08	ग्राम्य विकास	कान्फीडेन्शियल एन्ट्री का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी

09	ग्राम्य विकास	ए0सी0पी0 का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	90 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी
10	ग्राम्य विकास	मृतक आश्रित की नियुक्ति का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	90 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी
11	ग्राम्य विकास	अनस्किल्ड लेबर को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय	जिला विकास अधिकारी	15 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	07 दिन	जिलाधिकारी

5- उक्तानुसार पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रकरण का निस्तारण नहीं होने पर जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा 7(1)(2)(4) के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय अधिकारी 500 रू0 से अन्यून तथा 5000 रू0 से अनाधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है। उक्त दण्ड के विरूद्ध पुनरीक्षण का अधिकार शासन को है। उ0प्र0 जनहित गारण्टी नियमावली-2011 के नियम-14(1) के अंतर्गत उक्त दण्डात्मक धनराशि लेखाशीर्षक-0070-अन्य प्रशासकीय सेवायें-60-अन्य सेवायें- 800- अन्य प्राप्तियॉ- 12- उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 में जमा की जायेगी। उक्त नियमावली में प्रारूप-1,2,3,4,5 एवं 6 निर्धारित की गयी है। प्रारूप-1 अभिस्वीकृति का प्रारूप है, प्रारूप-2 पदाभिहित अधिकारी का नाम पदनाम एवं कार्यालय की सूचना पट्ट का प्रारूप है, प्रारूप-3 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में पोषित की जाने वाली पंजी का प्रारूप है। तथा प्रारूप 4,5,6 क्रमशः प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय कक्ष में अनुरक्षित की जाने वाली पंजी पर सूचना एकत्र की जानी है।

कृपया लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-2413/ एक-14-2010-33(08)/2011 दिनांक 12.11.2013 के क्रम में उपरोक्तानुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में नामित पदाभिहित अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी के लिये सेवाओं के लिये नियत समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 हरिश्चन्द्र

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-07/2017/1789(1)/38-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र शासन।

2- समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह

अनु सचिव।